



बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 10/2017 प0पा0 43 (नि०) 310

दिनांक - 28/11/2017

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०  
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

महाप्रबंधक, केंद्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/  
सहायक निदेशक(कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक शीर्ष 2403-पशुपालन 103 कुक्कुट विकास 0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना मांग संख्या-02, विपत्र कोड- 02 - 2403001030003 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 22,83,200/- (बाईस लाख तिरासी हजार दो सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय को वहन करने हेतु आवंटनादेश संख्या- 13 (नि०) आ० दिनांक- 02.06.2017 के क्रम में कुल ₹ 22,83,200/- (बाईस लाख तिरासी हजार दो सौ रूपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं०-02 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष 2403-पशुपालन 103 कुक्कुट विकास 0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना विपत्र कोड - 02-2403001030003 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्थायी स्थापना एवं स्थायी योजना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाय। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित कि जाती है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2725 वि० (2) दिनांक 15.04.2000 के समस्त प्रावधानों का भली-भाँति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित अर्हता/योग्यता रखने वाले पशु चिकित्सकों को ही गैर व्यवसायिक भत्ता (एन०पी०ए०) का भुगतान किया जाय। उक्त पत्र के समस्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए बगैर गैर व्यवसायिक भत्ता (एन०पी०ए०) का भुगतान करने पर गलत भुगतान की स्थिति में इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक:- 31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक- 26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) वेतन-भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी० भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें।

के

के

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 10/2017 प०पा० नि० 43070 आ० /

पटना-15, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि-उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी०ए०-57-96-97 प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/ उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 10/2017 प०पा० नि० 43070 आ० /

पटना-15, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 10/2017 प०पा० नि० 43070 आ० /

पटना-15, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 10/2017 प०पा० नि० 43070 आ० /

पटना-15, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 10/2017 प०पा० नि० 43070 आ० /

पटना-15, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि- सभी संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० 8 बजट (1) 10/2017 प०पा० नि० 43070 आ० /

पटना-15, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा- 8, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई० टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

Aug

क्र० सं०	विरस्त शीर्ष	कुट संख्या एवं मद का नाम	केंद्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना के स्थापना की योजना I					क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर की स्थापना की योजना I					क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर की स्थापना की योजना I					कुल आवंटन		
			पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	01-वेतन	0003.01.01 वेतन	5439200	550800	5990000	1374900	150000	1524900	2541800	300000	2841800	9355800	1000800	10356700						
2		0003.01.03 जीवन यापन भत्ता	7411500	644200	8055700	1863100	198900	2062000	3477800	289300	3767100	12752400	1132400	13884800						
3		0003.01.04 मकान किराया भत्ता	1023800	0	1023800	124500	0	124500	259200	0	259200	1407500	0	1407500						
4		0003.01.05 परिवहन भत्ता	132200	0	132200	0	0	0	0	0	0	132200	0	132200						
5		0003.01.06 सिकिस्ता भत्ता	55200	0	55200	14400	0	14400	30600	0	30600	100200	0	100200						
6		0003.01.07 अन्य भत्ता	8600	0	8600	2900	0	2900	8500	0	8500	20000	0	20000						
		योग 02-2403.00.103.0003.01-वेतन	14070500	1195000	15265500	3379800	348900	3728700	6317900	589300	6907200	23768200	2133200	25901400						
7	06-शिकस्ता प्रतिपूर्ति	0003.06.01 शिकस्ता प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	11-यात्रा व्यय	0003.11.01 यात्रा व्यय	20000	0	20000	7000	0	7000	10000	0	10000	37000	0	37000						
9	13-कार्यालय व्यय	0003.13.01-कार्यालय व्यय	80000	0	80000	15000	0	15000	25000	0	25000	120000	0	120000						
10		0003.13.03-दूरभाष	4500	0	4500	0	0	0	4500	0	4500	9000	0	9000						
11		0003.13.04-विद्युत प्रभार	500000	0	500000	20000	0	20000	200000	150000	350000	720000	150000	870000						
12		0003.13.06-वर्दी / पोशाक	53500	0	53500	5000	0	5000	20000	0	20000	78500	0	78500						
		योग 02-2403.00.103.0003.13-कार्यालय व्यय	638000	0	638000	40000	0	40000	249500	150000	399500	927500	150000	1077500						
13	14-किराया महसूल एवं कर	0003.14.01 किराया महसूल एवं कर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	20-प्रशिक्षण व्यय	0003.20.03-प्रशिक्षण व्यय	14700	0	14700	10000	0	10000	20000	0	20000	44700	0	44700						
15	21-सामग्री एवं पूर्तिर्था	0003.21.01-सामग्री एवं पूर्तिर्था	1250000	0	1250000	50000	0	50000	800000	0	800000	2100000	0	2100000						
16	52-मशीने एवं उपकरण	0003.52.01-मशीने एवं उपकरण	50000	0	50000	0	0	0	50000	0	50000	100000	0	100000						
		योग 02-2403.00.103.0003 पशुपालन विभाग	16043200	1195000	17238200	3486800	348900	3835700	7447400	739300	8186700	26977400	2283200	29260600						

(पंचर लाल  
पुनर्वाचे हजार  
कांसे) मात्र I

(पीन लाल  
अकलासि हजार  
नी की कसे) मात्र I

(शरत लाल  
उनामलसि हजार  
दंन की कसे) मात्र I

(शरत लाल  
विराकी हजार के  
सी कसे) मात्र

43/09/2017  
28/11/2017

निदेशक, पशुपालन।

15/11